

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० प्रयागराज द्वारा प्रतापगढ़ फैजाबाद रोड एन०एच०-330 (पुराना एन०एच०-96) के किमी० 59 (चैनेज-58.793) के बांयी पटरी पर खसरा नं०-02, ग्राम करिश्ता, तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु आवागमन में प्रभावित 0.821466 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के अनुमति

Proposalसंख्या-FP/UP/others/42318/2019

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-2०/81-2-2020-800(3)/2020, दिनांक 25-2-2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत ।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

(गोविंद बर्मा)

(गोविंद बर्मा)

नगरपालिका, वन नगरपालिका

सरकारी महल

उत्तर प्रदेश शासन

दि 25.2.2020